

मशीनरी खरीदने के नाम पर 29 करोड़ का लोन घोटाला उजागर

- ▶ दो फर्मा के छह डायरेक्टर आरोपी, कभी भी किए जा सकते हैं गिरफ्तार
- ▶ ईओडब्ल्यू जल्द करेगा एफआईआर दर्ज



इंदौर. शहर की दो अलग-अलग बैंकों से दो फर्मों द्वारा 29 करोड़ का लोन लेकर मशीनरी खरीदने का वादा कर रकम हड़पने का मामला उजागर हुआ है. आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) की जांच में दोनों फर्मों के छह संचालक इस धोखाधड़ी में दोषी पाए गए हैं. जल्द ही इनके खिलाफ अपराध दर्ज होगा.

शहर की दो अलग-अलग बैंकों से करोड़ों का लोन लेकर धनराशि गबन करने का बड़ा मामला सामने आया है. आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो के सूत्रों ने बताया कि जांच में यह बात सामने आई कि दो फर्मों के संचालकों ने मशीनरी

खरीदने के नाम पर बैंक से लोन तो ले लिया, लेकिन रकम का इस्तेमाल निजी कार्यों में कर लिया और किराये जमा करना भी बंद कर दीं. ईओडब्ल्यू के जांच अधिकारी एसपी रामेश्वर यादव के अनुसार, एक मामला एचडीएफसी बैंक का

है, जहां से एक फर्म के दो संचालकों ने मशीनरी खरीदने के लिए करीब 7 करोड़ रुपए का लोन लिया था. जबकि मशीन खरीदने की जगह लोन की रकम को इन्होंने अपने निजी उपयोग में खर्च कर दिया. बैंक की शिकायत पर ईओडब्ल्यू ने जांच करते हुए यह धोखाधड़ी पकड़ी.

यादव ने बताया कि इसी तरह का दूसरा मामला कॉम्पो बैंक का है, जहां से एक अन्य फर्म के चार डायरेक्टरों ने लगभग 22 करोड़ रुपए का लोन लिया था. आरोप है कि इन लोगों ने भी मशीन खरीदने के बजाय बैंक की राशि हड़प ली और लंबे समय से किराये जमा नहीं कीं.

मुख्यालय से अनुमति के बाद होगी एफआईआर दर्ज
जांच अधिकारी का कहना है कि जांच में दोनों मामलों में कुल छह लोगों को दोषी पाया गया है. मुख्यालय से अनुमति मिलते ही आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी. ब्यूरो ने लोन दस्तावेज, बैंक रिकॉर्ड और फर्म लेनदेन के आधार पर पूरा मामला प्रमाणित किया है. अधिकारियों का कहना है कि यह घोटाला करोड़ों रुपए के बैंकिंग सिस्टम को नुकसान पहुंचाने वाला गंभीर आर्थिक अपराध है. मामले में पुलिस जल्द ही गिरफ्तारी कर सकती है.

इंदौर में पहली बार ब्लैक पैंथर दिखने का दावा, वन विभाग ने किया खारिज

- ▶ कैट इलाके की बस्ती में देखे जाने की हुई थी पुष्टि
- ▶ 12 साल के बच्चे ने खींची फोटो



नव भारत न्यूज इंदौर. शहर में ब्लैक पैंथर दिखने की खबर ने शहर में मनसनी फैला दी है. सोशल मीडिया पर आया वीडियो और तस्वीरें सच निकलीं. लोगों ने इसे डीपफेक जांच टीम और एआई एक्सपर्ट ने फोटो-वीडियो को असली बता दिया है. जबकि डीएफओ ने इसे मात्र अफवाह बताया है. वन विभाग मामले में जांच पड़ताल कर रहा है. और किसी भी तरह की अफवाह से बचाने की सलाह दी है.

बिना जांच जानकारी न फैलाएं
वन विभाग ने बताया कि देश में ब्लैक पैंथर बहुत कम जगहों पर मिलता है और इंदौर जैसे इलाके में दिखना लगभग नामुमकिन है. फिर भी एहतियात के लिए कैट रोड और आसपास गिरगानी के आदेश जारी किए हैं. मामले में डीएफओ प्रदीप मिश्रा ने कहा कि लोग डरें नहीं और सोशल मीडिया पर बिना जांच की जानकारी न फैलाएं. किसी भी वन्यजीव की जानकारी सीधे विभाग को दें. विभाग का दावा ब्लैक पैंथर दिखाई देने की बात सिर्फ अफवाह है.

जानवर को देखने की बात कही थी. दोनों दावों को आधार मानकर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. टीम ने आसपास की झाड़ियों, खेतों, रास्तों और कच्ची जमीन पर जांच की, लेकिन पंजों के निशान, खरोंच या मल जैसी कोई भी चीज नहीं मिली. इससे विभाग ने मौके पर ब्लैक पैंथर आने की बात गलत बताई है. जांच में यह भी सामने आया कि वायरल तस्वीर में एडिटिंग के निशान मिले हैं और फोटो की बैकग्राउंड असली जगह से मेल नहीं खाते. दोनों दावों में भी कई विरोधाभास मिले.

ड्राइवर ने ही क्लीनर को उतारा था मौत के घाट

- ▶ रोबोट चौराहा हत्या कांड का पुलिस ने किया खुलासा

इंदौर. हादसा लगने वाला रोबोट चौराहे के मैदान में मिली बस क्लीनर की लाश का मामला पुलिस की जांच में हत्या का निकला. बस ड्राइवर ने शराब के नशे में क्लीनर की हत्या कर झूठी कहानी गढ़कर पुलिस को गुमराह किया था. जांच उपरांत पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है.

रोबोट चौराहे स्थित मैदान में मंगलवार को मिली लाश की गुत्थी एमआईजी पुलिस ने सुलझा ली है. मृतक की पहचान खरगोन जिले के डबरी गांव निवासी 38

सख्ती से पूछताछ पर आरोपी ने जुर्म कबूला
टीआई ने बताया कि घटना के बाद आरोपी ने वाहन मालिक प्रदीप शर्मा के पुत्र को फोन कर बताया था कि दोनों में झगड़ा हुआ है. पूछताछ में युवक ने यह बात कबूल की, जिसके बाद पुलिस ने तथ्यों की दोबारा जांच की. कड़ी पूछताछ में रतनलाल ने सचिन को हत्या करने की बात स्वीकार कर ली. पुलिस आरोपी को अदालत में पेश करने की तैयारी कर रही है, वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की धाराएं बढ़ाई जा सकती हैं.

वर्षों सचिन मंडलोई के रूप में हुई थी, जो बस में क्लीनर के रूप में काम करता था. घटना के बाद बस ड्राइवर ने पुलिस को यह बताकर गुमराह किया था कि सचिन बस से उतरते समय गिरकर दीवार से टकरा गया, जिससे उसकी मौत हो गई. एफएसएल टीम ने मौके का निरीक्षण कर चोटों की प्रकृति और खून के

छिंटकाव को देखते हुए हत्या की आशंका जताई थी. इस आधार पर थाना प्रभारी टीआई सीबी सिंह ने ड्राइवर रतनलाल पिता दुर्गेसिंह गुजर उम्र 42 निवासी खुर्दा मानपुर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की. आरोपी ने पहले हादसे वाली कहानी ही दोहराई, लेकिन आगे की जांच और बयानबाजी

में उसका झूठ खुल गया. जांच में सामने आया कि बस बंगाली चौराहा निवासी प्रदीप शर्मा की है, जो परिवहन निगम से अटैच रहती है. वाहन का बम्पर क्षतिग्रस्त होने पर उसे मरम्मत के लिए रोबोट चौराहा स्थित गैरेंज पर लाया गया था. इसी दौरान घटना वाली रात सचिन और रतनलाल ने शराब पी थी. शराब पीने के दौरान किसी बात पर दोनों के बीच विवाद हो गया. यह विवाद गाली-गलौज से हाथापाई तक पहुंच गया. इसी दौरान रतनलाल ने सचिन पर हमला कर उसका सिर दीवार से दे मारा, जिससे उसकी मौत हो गई.

नाशते की दुकान में संधमारी कर 78 हजार रुपए उड़ाए

इंदौर. बाणगाथा थाना क्षेत्र में एक नाशते की दुकान से देर रात चोरी की वारदात सामने आई. दुकान के मालिक रवींद्र सिंह शर्मा ने बताया कि दुकान में 78 हजार रुपए उड़ाए गए थे. दुकान के पीछे लगी जाली उतकी हुई मिली, जिससे अंदाजा है कि कोई चोर जाली हटाकर दुकान में प्रवेश और नकदी ले गया. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मौका पंचनामा बनाया और अज्ञात आरोपी की तलाश शुरू कर दी है. सीसीटीवी फुटेज आदि के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है.

इंदौर के कैट क्षेत्र की बस्ती में पिछले दिनों ब्लैक पैंथर दिखने का वीडियो और फोटो वायरल हुए थे. दावा किया गया था कि इलाके में रहने वाले 12 साल के एक बच्चे ने काले तेंदुए की तस्वीर मोबाइल से ली है. वायरल होने के बाद मामला वन विभाग तक पहुंचा. वन विभाग ने फोटो की जांच कर दावा खारिज किया है. अधिकारियों का कहना है कि अब तक ब्लैक पैंथर या किसी बड़े जानवर के होने का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है. तस्वीर का दावा आरआरकैट के पास रहने वाले 12 साल के बच्चे ने किया था. उसने कहा कि उसने मंगलवार सुबह फोटो ली. इसी बीच पास की एक फैक्ट्री में काम करने वाली महिला ने भी शाम को पैंथर जैसे

एक नजर में

श्री एकेडमी को राष्ट्रीय स्टार एजुकेशन अवॉर्ड से नवाजा



महू. श्रेष्ठ विद्यालय संचालन, शिक्षा, खेल, लाइफ स्किल्स एवं स्काउटिंग में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए नगर के शिक्षा संस्थान श्री एकेडमी को भारत के 100 श्रेष्ठ स्कूल के तौर पर मुंबई में राष्ट्रीय स्टार एजुकेशन अवॉर्ड से नवाजा गया है. ग्राम कोदरिया स्थित विद्यालय श्री एकेडमी को खेलों में राष्ट्रीय पदक, शिक्षा, लाइफ स्किल्स ट्रेनिंग एवं स्काउटिंग के क्षेत्र में विशेष उपलब्धियों के लिए नैसकॉम मुंबई में स्टार एजुकेशन राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया. श्री एकेडमी को कई वर्षों में तय पैमानों पर मेरिट के आधार पर भारत के 100 सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों में चयनित किया गया. चयनित होने के पश्चात ईएसएफआई द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार स्टार एजुकेशन अवॉर्ड 2025 से संस्था को सम्मानित किया गया. श्री एकेडमी इस सम्मान को प्राप्त करने वाला मध्यप्रदेश का प्रथम विद्यालय है. इस सम्मान को संस्था के डायरेक्टर डॉ. राजेश पाटीदार एवं प्राचार्या डॉ. हेमलता पाटीदार को प्रदान किया गया. पाटीदार दंपती इस सफलता का श्रेय श्री एकेडमी की पूरी टीम के साथ सभी गुरुजनों, सहायिका, पालकों, विद्यार्थियों और शिक्षा विभाग एवं सहयोगी संस्थाओं को देते हैं. विद्यालय की इस राष्ट्रीय उपलब्धि पर केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर, राज्यसभा सांसद डॉ. कविता पाटीदार, विधायक ऊषा ठाकुर, बीईओ सुश्री दीपशिखा आंचल, बीआरसीटी अनुराग भारद्वाज, संकुल प्राचार्या सुधा पटेल, मिश्रीलाल पाटीदार, महेश यादव, सुभाष पाटीदार, मनोज पाटीदार, सुभाष यादव, वासुदेव यादव, भारत सिंह ठाकुर, इंद्र तंवर, संजय शर्मा, श्याम केलोत्रा, नरेंद्र सुले, संतोष सुले सहित अनेक संगठनों ने बधाई दी है.

पंचों का दो दिवसीय प्रत्यस्मरण प्रशिक्षण आयोजित



महू. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के विकास को सशक्त बनाने के उद्देश्य से पंचों का दो दिवसीय प्रत्यस्मरण प्रशिक्षण कार्यक्रम जनपद पंचायत महू के सभागृह में आयोजित किया गया. कार्यक्रम जनपद पंचायत सीईओ गिरिशंकर दुबे के सानिध्य में संपन्न हुआ. प्रशिक्षण सत्र में मास्टर ट्रेनर डॉ. कनक पट्टरिया ने पंचों को उनकी भूमिका एवं दायित्वों, पंचायत की मूलभूत योजनाओं तथा संरचना संबंधी विषयों पर विस्तार से जानकारी दी. प्रशिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रोजेक्टर के माध्यम से शैक्षणिक फिल्म भी प्रदर्शित की गई, जिससे पंचों को योजनाओं के क्रियान्वयन की व्यावहारिक समझ मिली. कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पंचायत प्रतिनिधियों को योजनाओं के प्रभावी संचालन के लिए प्रशिक्षित करना एवं ग्राम विकास की प्रक्रिया में उनकी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करना रहा.

साध्वी कृष्णानंद ने कंपनी बाग मंदिर में किए शिव दर्शन



महू. वृंदावनधाम से पधारी साध्वी कृष्णानंद ने शुक्रवार को कंपनी बाग स्थित मंदिर में भगवान शिव के दर्शन कर विधिवत पूजा-अर्चना की. दर्शन के पश्चात वे निर्माणधीन विशाल भगवान परशुराम मंदिर पहुंचीं. जहां बड़ी संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं ने उनका पुष्प वर्षा कर फूलों एवं मालियों की मालाओं से भव्य स्वागत किया. इस अवसर पर शैलेंद्र शुक्ला ने निर्माणधीन परशुराम मंदिर की प्रगति एवं भविष्य की योजनाओं की जानकारी साध्वी को दी. साध्वी कृष्णानंद ने उपस्थित श्रद्धालुओं को धर्म, संस्कार एवं सनातन परंपरा के महत्व पर संक्षिप्त मार्गदर्शन दिया तथा सभी के कल्याण की कामना की. इसके पश्चात साध्वी राम तायत, आशीष बंसल एवं गोपाल अग्रवाल के निवास पर भी पहुंचीं. जहां उन्होंने परिवारजनों एवं क्षेत्रीय श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित कर आशीर्वाद प्रदान किया.

मौत की खबर सुनकर भी नहीं पहुंचे रिश्तेदार, पुलिस ने कराया दाह संस्कार

- ▶ आखिरी तक तक अकेले रहे परनवाल दंपती
- ▶ भाई पुलिस से बोला... आप ही कर दें अंतिम संस्कार



इंदौर. शहर में दिल झकझोर देने वाला मामला सामने आया है. लसुडिया स्थित सेटेलाइट जंक्शन में रहने वाले कन्हैयालाल परनवाल और उनकी पत्नी स्मृति परनवाल दोनों के शव रिश्तेदारों ने लेने से इंकार कर दिया है. पुलिस ने उनके बड़े भाई से संपर्क किया था, लेकिन उन्होंने अपने में असमर्थता जताई और कह दिया कि वे खुद दोनों का दाह संस्कार करवा दें. परनवाल दंपति के शव गुरुवार को उनके

मकान में मिले थे. कन्हैयालाल और उनकी पत्नी स्मृति दोनों मकान में अकेले रहते थे. उनकी कोई संतान भी नहीं थी. जांच में कन्हैयालाल का शव 10 से 12 दिन और स्मृति का 4-5 दिन पुराना पाया गया है.

पुलिस यह अंदाजा लगा रही है कि पति को मौत के बाद स्मृति ने अपने रिश्तेदारों से संपर्क किया होगा, लेकिन कोई नहीं आया, तो वह शव के साथ ही कबरे में रही होगी. पुलिस ने उनके मोबाइल भी जब्त किए हैं, ताकि यह पता चल सके कि उन्होंने अंतिम बार किससे बात की थी. पुलिस को मोबाइल बंद अवस्था में मिले हैं, जिन्हें चार्ज करके जांच की जाएगी. कबरे में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं. उनके फुटेज भी निकाले जा रहे हैं, जिससे उनकी आखिरी समय की स्थिति का पता चलेगा. पुलिस के अनुसार कन्हैयालाल और स्मृति बच्चे नहीं होने के कारण संभवतः डिप्रेशन में थे. कन्हैयालाल लंबकटाप्रस्त थे और उनकी पत्नी स्मृति को मानसिक

घर में मिली डायरी से मिला था भाई का नंबर

कन्हैयालाल परनवाल मूल रूप से देवरिया (यूपी) क रहने वाले थे. वे चार भाई हैं. कई साल पहले कन्हैयालाल अपनी पत्नी के साथ इंदौर आकर बस गए थे और यहां सेटेलाइट जंक्शन में सन 2016 से रह रहे थे. कन्हैयालाल पीथमपुर में नौकरी करते थे, लेकिन बहुत पहले नौकरी छोड़ दी थी. दंपति ने पड़ोसियों से तो दूरी बनाए रखी ही थी, परिजनों से भी उनकी बातचीत कम ही होती थी. घटना वाले दिन मकान की तलाशी के दौरान पुलिस को एक डायरी मिली थी, जिसमें कन्हैया लाल के बड़े भाई का नंबर मिला. जब पुलिस ने उससे संपर्क कर जानकारी दी तो उन्होंने इंदौर आने से साफ इंकार कर दिया.

स्थिति ठीक नहीं थी. पड़ोसियों से भी ज्यादा बात नहीं होती थी दंपती की-पड़ोसियों ने बताया कि एसआईआर फॉर्म के लिए कर्मचारी आए थे तो उन्होंने स्मृति से संपर्क किया था, तभी उन्हें देखा था. उसके बाद से वह नजर

नहीं आई. घर का दरवाजा भी अक्सर बंद ही रहता था. दूधवाले को भी स्मृति ने दूध देने से मना कर दिया था. गुरुवार सुबह जब घर से बंदव आई तो रहवासियों ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने दोनों के शव बरामद किए थे.

सट्टा पर्ची और नकदी के साथ युवक को पकड़ा

इंदौर. खजराना पुलिस ने अवैध सट्टा गतिविधि पर कार्रवाई करते हुए एक युवक को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. आरोपी के कब्जे से नकदी और सट्टा पर्चियां जब्त की हैं. थाना प्रभारी मनोज सिंह सेवक ने बताया कि थाना क्षेत्र में अवैधानिक गतिविधियों के खिलाफ विशेष मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत आरक्षक बृजेश सिंह ने देर रात सट्टे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. उन्होंने बताया कि आम का खेत, जुगन नगर खजराना इलाके में गश्त के दौरान सदैव्य हालत में एक व्यक्ति मिला, तलाशी लेने पर उसके पास से सट्टा पर्ची पांच, एक लीड पेन और 260 रुपए नकद बरामद की गई. आरोपी को पहचान अधिनी सौनकर उम्र 41 वर्ष, निवासी तुलसी पैलेस, अजयगम कॉलोनी, मूसाखेड़ी इंदौर के रूप में हुई है. आरोपी से पूछताछ की जा रही है.

रतलाम से लेकर आया था एमडी ड्रग्स, पैडलर धराया

इंदौर. क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई कर आजाद नगर इलाके से एक ड्रग्स पैडलर को पकड़ा है. आरोपी के पास से एमडी ड्रग्स बरामद हुई है. पूछताछ में उसने ड्रग्स रतलाम से लाना स्वीकार किया है. उसने ड्रग्स सप्लायरों के नाम और मोबाइल नंबर भी बताए हैं. पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है.

इंधर, हीरानगर पुलिस ने भी बड़ी कार्रवाई करते हुए एक युवक को एमडी ड्रग के साथ पकड़ा. आरोपी से बरामद ड्रग की कोमत करीब डेढ़ लाख बताई जा रही है. थाना प्रभारी सुशील पटेल ने बताया कि थाना क्षेत्र में ड्रग तस्करी के खिलाफ चल रही कार्रवाई के तहत देर रात उपनिरीक्षक शिवराज सिंह ठाकुर और उनकी टीम ने आईएसबीटी सेंट्रल डेपार्टमेंट से एक युवक को मेफेड्रोन (एमडी) ड्रग के साथ गिरफ्तार किया है. आरोपी का नाम अरबाज उर्फ अब्बू अली उम्र 24 साल है, वह मदीना नगर का रहने वाला है. आरोपी के कब्जे से 13.64 ग्राम मेफेड्रोन ड्रग्स जब्त की गई, जिसकी कोमत 1 लाख 40 हजार रुपए बताई जा रही है. आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है. मामले में आरोपी से उक्त ड्रग्स की सप्लाई और खरीद फरोख्त के मामले में पूछताछ की जा रही है.

पहुंचा है. इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच की टीम ने उसके घर की तलाशी ली, जहां से एमडी ड्रग्स बरामद हुई. आरोपी ने पूछताछ में स्वीकार किया कि वह रतलाम के खान बंधुओं से ड्रग्स खरीदता है. उसने तस्करों के मोबाइल नंबर भी टीम को सौंपे हैं, जिनके आधार पर रतलाम नेटवर्क की तलाशी की जा रही है.

आईएसबीटी के पास से भी एमडी ड्रग के साथ युवक को पकड़ा
इंधर, हीरानगर पुलिस ने भी बड़ी कार्रवाई करते हुए एक युवक को एमडी ड्रग के साथ पकड़ा. आरोपी से बरामद ड्रग की कोमत करीब डेढ़ लाख बताई जा रही है. थाना प्रभारी सुशील पटेल ने बताया कि थाना क्षेत्र में ड्रग तस्करी के खिलाफ चल रही कार्रवाई के तहत देर रात उपनिरीक्षक शिवराज सिंह ठाकुर और उनकी टीम ने आईएसबीटी सेंट्रल डेपार्टमेंट से एक युवक को मेफेड्रोन (एमडी) ड्रग के साथ गिरफ्तार किया है. आरोपी का नाम अरबाज उर्फ अब्बू अली उम्र 24 साल है, वह मदीना नगर का रहने वाला है. आरोपी के कब्जे से 13.64 ग्राम मेफेड्रोन ड्रग्स जब्त की गई, जिसकी कोमत 1 लाख 40 हजार रुपए बताई जा रही है. आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है. मामले में आरोपी से उक्त ड्रग्स की सप्लाई और खरीद फरोख्त के मामले में पूछताछ की जा रही है.

समस्या यदि कालोनियां अवैध थीं तो भवन निर्माण की अनुमति क्यों दी गई, जिम्मेदारों पर कार्रवाई होना चाहिए

अतिक्रमण के नाम पर बेघर हो रहे गरीब और मध्यम वर्ग के लोग



इंदौर. शहर में पिछले कुछ वर्षों से अतिक्रमण हटाने की मुहिम तेजी से चल रही है. प्रशासन द्वारा सीलिंग की जमीनों पर बने मकानों और बस्तियों को हटाया जा रहा है, जिससे सैकड़ों गरीब परिवार प्रभावित हो रहे हैं. सवाल यह उठता है कि जब इन्होंने जमीनों पर कॉलोनाइजर्स ने प्लॉटों का डिजाइन तैयार किया, कालोनियां विकसित हुईं और लोगों ने जीवन भर की जमा पूंजी लगाकर मकान बनाए, तब जिम्मेदार अधिकारी कहां थे?

जानकारों का कहना है कि बिना विभागीय मिलीभगत के न तो अवैध प्लॉटिंग संभव है और न ही बस्तियों का विस्तार. उस समय आंच मूदकर अनुमति दी गई और अब वर्षों बाद कार्रवाई की जा रही है. इससे यह आशंका गहराती जा रही है कि कालोनाइजर्स और जिम्मेदार अधिकारियों के बीच सांठगांठ का खेल हुआ है, जिसकी कोमत आज आम और गरीब जनता चुका रही है. अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में न तो प्यले वैकल्पिक पुनर्वास की ठोस व्यवस्था की गई और न ही दोषी कॉलोनाइजर्स पर सख्त कदम उठाए गए. प्रशासन की

यह बोले नागरिक...

अधिकांश मध्यम और गरीब वर्ग के क्षेत्रों में अतिक्रमण मुहिम चलाई जाती है, जो उनके साथ छल है. मुहिम में उनके जीवन भर की पूंजी चली गई. ऐसे में दोषियों को कठोर सजा मिलना चाहिए.
-सूरज माली

वर्षों पहले जो कालोनियां काटी गईं, वह नजर अंदाज की गईं. वर्तमान स्थिति में भी शहर में सैकड़ों अवैध कॉलोनी कट रही हैं. फिर भी शासन प्रशासन क्यों आंख मूंदे है.
-सैयद अशरफ जब मास्टर प्लान पहले से ही

तैयार किया जा चुका था, तब ऐसी स्थिति में अधिकारियों की यह जिम्मेदारी थी कि ऐसे स्थानों पर विकास करने की अनुमति नहीं देना चाहिए थी. ऐसी अनुमति जारी करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए.
-सिया राम

इस एक तरफ कार्रवाई से सवाल उठ रहे हैं कि क्या गलती सिर्फ गरीब

लोगों की थी या फिर जिम्मेदारों की जवाबदेही तय की जाएगी. शहर की

जनता अब पारदर्शी जांच और न्याय की मांग कर रही है.